राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1068/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
जयसिंह पुष्पक कोरियर, बस स्टेण्ड, जैतारण, पाली , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं महाप्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 27-03-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री हरबख्श अटल, प्रशासनिक अधिकारी (यातायात) उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 29-12-16 के द्वारा अपीलार्थी के पूर्व प्रार्थना पत्र दिनांक 28-12-16 जो कि दिनांक 1-4-15 को परिचालक वर्ग की जारी की गई अस्थाई वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में था पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक सूचना प्रदान नहीं की गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि आवेदन में विशिष्टियों का अभाव है। अपीलार्थी ने अपने आवेदन में यह अंकित नहीं किया है कि किस आगार व किस वर्ग की तथा किस पत्रांक व दिनांक की सूचना चाह रहे हैं, तथा किस प्रकार का संशोधन चाहते हैं। अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार विनिश्चय पत्र दिनांक 8-3-17 से संसूचित कर दिया गया था तदुनसार उनकी प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 24-3-17 से खारिज कर दी गई।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 27-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी ने प्रतिक्रिया दिनांक 8-3-18 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना से मूल अपील का रुप ही परिवर्तित हो गया है, उन्हें

आवेदन के अनुसार सूचना दिलवाई जावे।

8. पत्रावली पर उपलब्ध सूचना के आवेदन एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय तथा प्रथम अपीलीय निर्णय से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय निर्णय उपरोक्त सूचना के आवेदन के अनुक्रम में विधिसंगत है। अपीलार्थी की प्रतिक्रिया बलहीन है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त